न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 40 / 2024

प्रार्थीनी	बनाम विप्रार्थीगण
किस्तुरी उर्फ किस्तूकी पुत्री मूलसिंह पत्नि देवीसिंह उम्र 71 वर्ष जाति वजीर (राजपूत) निवासी नाकोड़ा तह. सिणधरी हाल निवासी सिणली जागीर तह पचपदरा जिला बालोतरा	1. तोगसिंह पुत्र हरजीसिंह, वयस्क 2. विशनसिंह पुत्र हरजीसिंह, वयस्क 3. मानसिंह पुत्र हरजीसिंह, वयस्क 4. रूखमोदेवी पत्नि हरजीसिंह, (फौत के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 5 से 9) जाति वजीर (राजपूत) निवासी नाकोडा 5. धापूकंवर पुत्री हरजीसिंह पत्नि दुर्गसिंह, वयस्क जाति वजीर निवासी नाकोड़ा तह. सिणधरी हाल निवासी छापरी 6. महेशसिंह पुत्र सवाईसिंह, माता हवी पुत्री हरजीसिंह, वयस्क 7. विजयसिंह पुत्र सवाईसिंह, माता हवी पुत्री हरजीसिंह, वयस्क 8. हनुमानसिंह पुत्र सवाईसिंह, माता हवी पुत्री हरजीसिंह, वयस्क 9. धनसिंह पुत्र सवाईसिंह, माता हवी पुत्री हरजीसिंह, वयस्क जातियान वजीर (राजपूत) निवासी लालोणियों की ढाणी, बाड़मेर आगोर 10. कोहलाराम् पुत्र भीयाराम, वयस्क जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बामणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 11. हंजू पत्नि रिड़मलराम, वयस्क जाति मेघवाल निवासी नाकोड़ा तहसील सिणधरी 12. वगतूदेवी पत्नि चेतनराम, वयस्कजाति मेघवाल निवासी नाकोड़ा तहसील सिणधरी 13. सजनोदेवी पत्नि मल्लाराम, वयस्क जाति जाट निवासी नाकोड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 14. आम्बसिंह पुत्र रतनसिंह, वयस्क 15. समदा पत्नि रतनसिंह, वयस्क 16. कबूकंवर पत्नि पूनमसिंह, वयस्क 17. कान्ताकंवर पत्नि पेम्पसिंह, वयस्क 18. खमादेवी पत्नि पुरखसिंह, वयस्क 19. गीताकंवर पत्नि खेतसिंह, वयस्क 20. दुर्गसिंह पुत्र रतनसिंह, वयस्क 21. देशकंवर पत्नि जालमसिंह, वयस्क 22. [illegible]सिंह, वयस्क 23. प्या[illegible] पत्नि [illegible]सिंह, वयस्क 24. [illegible] 25. भागकंव[illegible] किशोरसिंह, वयस्क 26. टीकमसिंह पुत्र कूटलसिंह, वयस्क 27. पारसस[illegible] पुत्र कूटलसिंह, वयस्क 28. राधाकंवर पत्नि कूटलसिंह, वयस्क 29. शेरसिंह पुत्र कूटलसिंह, वयस्क 30. पूनमसिंह पुत्र पूर्णसिंह, वयस्क 31. विरमसिंह पुत्र पूर्णसिंह, वयस्क जातियान वजीर (राजपूत) निवासी नाकोड़ा 32. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

	शाखा सिणधरी 33. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी 34 तहसीलदार, सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सवाईराम सियाग अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 2,3,5 से 9 उपस्थित। शेष एकतरफा।
3. विप्रार्थी सं. 34 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक– 11.02.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,40,207,209,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थी के विरूद्ध खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 व 9 के पूर्वाधिकारी मूला की वक्त जागीरकाल से पुश्तैनी जमीन ग्राम नाकोड़ा खेत खसरा नम्बर 151 रकबा 42–11 बीघा वर्तमान इकाई के अनुसार 6.8846 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150 रकबा 0–08 बीघा वर्तमान इकाई के अनुसार 0.0647 हैक्टेयर का आया हुआ था, जो मूला के नाम से पर्चा लगान जारी होकर राजस्व रेकर्ड संधारित हुआ तथा इसी गांव में प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 व 14 से 31 के पूर्वज की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा 81 रकबा 66–03 बीघा वर्तमान के ईकाई के अनुसार 10.6788 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 171 रकबा 91–08 बीघा वर्तमान इकाई के अनुसार 14.7643 हैक्टेयर का आया हुआ है। कि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीनी संख्या 1 से 9 के पूर्वज हरजीसिंह के पिता मूलसिंह के देहान्त पर फौतगी का नामान्तरण संख्या 256 प्रार्थीनी की बिना जानकारी में उनके भाई हरजीसिंह अकेले के नाम से पारित किया गया, जिसमें प्रार्थीनी का वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा प्रार्थीनी का तथा 1/2 हिस्सा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 के पूर्वज हरजीसिंह का था, प्रार्थीनी का वादग्रस्त भूमि प्रार्थीनी के पिता मूलसिंह के फौत होने पर उनके विधिक वारिस उनके पुत्र व पुत्री का वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत प्रार्थीनी में निहित हो गया था, इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी के पिता के हिस्से के हिस्सा में प्रार्थीनी का पैतृक व पुश्तैनी 1/2 हिस्सा जन्म के क्षण से प्रार्थीनी के हिस्से से काबिज हुई प्रार्थीनी के पिता ने अपने जीवनकाल में अपनी वादग्रस्त जमीन का न किसी के पक्ष में वसियत की और न ही किसी प्रकार से वादग्रस्त जमीन का हस्तान्तरण किया इसलिये प्रार्थीनी के पिता की फौतगी का विरासत का नामान्तरकरण प्रार्थीनी का व उसके भाई का साथ में 1/2–1/2 हिस्सा होने से संधारित करना था, लेकिन नामान्तरकरण संख्या 256 प्रार्थीनी को बिना जानकारी में लाये, विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 के पूर्वज द्वारा गलत सुचना देकर अपने अकेले के नाम से पारित करवा दिया जिसकी जानकारी प्रार्थीनी को आज दिन तक नहीं हुई क्योकि प्रार्थीनी अपने भाई के विश्वास में थी, लेकिन वादग्रस्त आराजी में अपने पुश्तैनी हिस्सा जब

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

से वापिस आती तब काश्त करती व कब्जा काश्त है।कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अनेक मतो में यह निर्धारित किया पुत्र/पुत्रीयों का हिस्सा उनकी पुश्तैनी जगीन में बना रहता है, नामान्तरकरण अधिकारों को निर्णायक नहीं है। कि प्रार्थीनी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार प्रार्थीनी वादग्रस्त भूमि की सहखातेदार है, जिसके अनुसार मूलसिंह के हिस्सा में प्रार्थीनी को वादग्रस्त भूमि में कुल रकबा में 1/2 हिस्सा यानि ग्राम नाकोड़ा के खसरा संख्या 151 रकबा 6.8846 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा अर्थात् रकबा 3.4423 हैक्टेयर, खसरा संख्या 150 रकबा 0.0647 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा अर्थात् रकबा 0.0323 हैक्टेयर, खसरा संख्या 171 रकबा 14.7643 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा अर्थात् रकबा 3.6910 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 81 रकबा 10.6788 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा अर्थात् रकबा 2.6697 हैक्टेयर यानि सभी खसरान् में कुल भूमि रकबा 9.8353 हैक्टेयर (60–16 बीघा) हिस्सा प्रार्थीनी का तथा 1/2 हिस्सा संख्या 1 से 9 के पूर्वज हरजीसिंह का रकबा 9.8353 हैक्टेयर (60–16 बीघा) हिस्सा की भूमि आती है, जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा तथा विप्रार्थीगण संख्या 6 से 9 का सुयक्त रूप से 1/12 हिस्सा पुश्तैनी हक हकुक का आया हुआ है, जिसमें विप्रार्थीगण संख्या 1 व 4 ने अपने हिस्सा से अधिक खसरा संख्या 81, 151,171 में अपने हिस्से अधिक का बैचान किया गया है जो प्रार्थीनी के हक की सीमा तक प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है, जो विक्रय–पत्र प्रार्थीनी के हक हिस्से तक प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है क्योंकि वादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा पैतृक खातेदारी की भूमि में प्रार्थीनी का जन्म के साथ ही हक हिस्सा निहित हो गया था. तथा प्रार्थीनी स्व.मूलसिंह के विधिक उतराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में अपना हक हिस्सा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 व हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार जन्म के साथ ही निहित हो गये थे। कि वादग्रस्त आराजी की वर्तमान में कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण विप्रार्थीगण संख्या 10 से 13 द्वारा अन्यत्र वैचान/ हस्तान्तरण करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थीनी को वादग्रस्त पैतृक व सहदायिकी भूमि से महरूम करना चाहते है तथा विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि में हस्तक्षेप व दखलअन्दाजी करते रहते है। अब विप्रार्थीगण संख्या 10 से 13 जो अन्यत्र बैचान करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थीनी को बलपूर्वक बेदखल करने पर आमादा है और अगर वह ऐसा करने में वह सफल हो गये तो न केवल प्रार्थीनी के दावे का उद्देश्य समाप्त होगा अपितु प्रार्थीनी को भारी अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशंय का स्थगन आदेश जारी किया जावे,कि वे विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्राथीगर्ण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 2,3,5 से 9 के वकील उपस्थित हुए, परन्तु उनकी ओर से कोई प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया तथा शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने पश्चात भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:07 IST
Reason: SelfAttested

हमनें वकील प्रार्थी की बहस सुनी और पत्रावली पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 व 9 के पूर्वाधिकारी मूला की वक्त जागीरकाल से पुश्तैनी जमीन ग्राम नाकोड़ा खेत खसरा नम्बर 151 रकबा 42–11 बीघा वर्तमान इकाई के अनुसार 6.8846 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150 रकबा 0–08 बीघा वर्तमान इकाई के अनुसार 0.0647 हैक्टेयर का आया हुआ था, जो मूला के नाम से पर्चा लगान जारी होकर राजस्व रेकर्ड संधारित हुआ तथा इसी गांव में प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 व 14 से 31 के पूर्वज की संयुक्त खातेदारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:07 IST
Reason: SelfAttested